(140)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R. 2692-III/14

प्रकरण कमांक — /2014 निगरानी R ~~296~~

श्री ... को 23-8-14 द्वारा आज दि. प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 23-8-14

चन्दरसिंह पिता हरीसिंह यादव

निवासी ग्राम– तलेन पोस्ट तलेन तहसील–

पचौर जिला– राजगढ ब्यावरा म0प्र0

विरूद्ध

कृष्णाबाई पिता बिहारीदास बैरागी पत्नी

ओमप्रकाश निवासी ग्राम तलेन तहसील–

पचोर जिला– राजगढ ब्यावरा

राजस्व निरीक्षक वृत –2 तलेन द्वारा प्रकरणक्रमांक 9/12–13/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 3–7–2013 को पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तत करता है:–

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-2692-तीन/2014 जिला-राजगढ़

चन्दरसिंह विरूद्ध कृष्णाबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत-2 तलेन, जिला-राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 09/2012-13/अ-12 में पारित आदेश दिनांक 03-07-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-राजगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09-10-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	